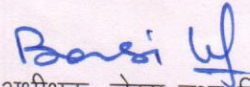


विषय:- कर्मचारी/ अधिकारी द्वारा सरकारी आवास अलाट होने की सूचना देने बारे ।

.....

क्या मुख्यमंत्री/उप मुख्यमंत्री/मन्त्रीगण/मुख्य प्रधान सचिव मुख्यमंत्री/मुख्य सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ प्रधान सचिव मुख्यमंत्री/अतिरिक्त प्रधान सचिव मुख्यमंत्री/सचिव/ उप प्रधान सचिव-1 एवं 11 मुख्यमंत्री/विशेष सचिव/अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव तथा उनके साथ नियुक्त चीफ स्टाफ ऑफिसर/विशेष वरिष्ठ सचिव/वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजी सचिव तथा सचिवालय के सभी शाखा इन्चार्ज उपरोक्त विषय की ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे ?

2. सभी कर्मचारियों/ अधिकारियों से अनुरोध किया जाता है कि जब भी किसी कर्मचारी/ अधिकारी को सरकारी आवास आवंटित होता है वे इसकी सूचना (अनुलग्नों सहित *Allotment letter, possession letter*) सम्बन्धित शाखा - लेखा शाखा एवं लेखा एवं विभाजन शाखा में अविलम्ब प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। ताकि उनके वेतन से समय पर *licence fee/HRA* की कटौती की जा सके यदि कोई कर्मचारी/ अधिकारी सरकारी आवास आवंटन की सूचना सम्बन्धित शाखा में समय पर नहीं देता है और यदि उनके विरुद्ध किसी प्रकार की रिकवरी बनती है तो *Rule No.17 of Haryana Civil Services (Allowances to Government Employees) rules, 2016* के तहत कार्यवाही के लिये वह खुद जिम्मेदार होगा अर्थात् धोखाधड़ी/गलत तरीके से मकान किराया भत्ते की प्राप्ति पर अनुशासनिक कार्रवाई सक्षम प्राधिकारी द्वारा सरकारी कर्मचारी/ अधिकारी के विरुद्ध प्रारम्भ की जाएगी।



अधीक्षक, लेखा तथा विभाजन

कृते: उप सचिव(सामान्य), हरियाणा सरकार ।

सेवा में

मुख्यमंत्री/उप मुख्यमंत्री/मन्त्रीगण/मुख्य प्रधान सचिव मुख्यमंत्री/मुख्य सचिव/ अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ प्रधान सचिव मुख्यमंत्री/अतिरिक्त प्रधान सचिव मुख्यमंत्री/सचिव/ उप प्रधान सचिव-1 एवं 11 मुख्यमंत्री/विशेष सचिव/अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव तथा उनके साथ नियुक्त चीफ स्टाफ ऑफिसर/विशेष वरिष्ठ सचिव/वरिष्ठ सचिव/सचिव/निजी सचिव तथा सचिवालय के सभी शाखा इन्चार्ज।

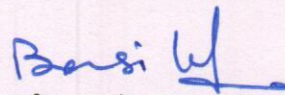
अशा0 क्रमांक- 13/58/2020-3AP

दिनांक, चण्डीगढ़, 26.06.2023

पृष्ठा0 क्रमांक- 13/58/2020-3AP

दिनांक, चण्डीगढ़, 26.06.2023

उपरोक्त की एक-2 प्रति प्रधान स्थानीय आयुक्त, हरियाणा भवन, नई दिल्ली/निदेशक, अल्प बचतें/सचिव, राज्यपाल हरियाणा/ सचिव, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग/ सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड, हरियाणा को हरियाणा सचिवालय से उनके अधीन कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के ध्यान में लाने हेतु प्रेषित की जाती हैं।



अधीक्षक, लेखा तथा विभाजन

कृते: उप सचिव(सामान्य), हरियाणा सरकार ।